सिमडेगा समाहरणालय सिमडेगा।
(खनन शाखा)

सिमडेगा जिलान्तर्गत तीन वर्षों के लिए बालू घाटों की आम– निलामी हेतु सुचनाः–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 के नियम–12 के संशोधन के फलस्वरूप गैर वन–भूमि पर स्थित बालूघाटों की बन्दोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा आम निलामी पंचायतवार तीन **वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18** तक के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक **6/4/15, 7/4/15** एवं **8/4/15 के पूर्वाह्न 11.00 बजे** पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की देख–रेख में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न की जाएगी। पहली निर्धारित तिथि को निलामी के प्रश्चात् शेष रह गए बालू घाटों की बन्दोबस्ती अगली निर्धारित तिथि को सम्पन्न की जाएगी। बालू घाटों की विवरणी, निलामी प्रक्रिया एवं शर्त्तों को बेबसाईट ***www.prdjharkhand.in*** पर एवं ***www.simdega.nic.in*** तथा जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

सिमडेगा जिलान्तर्गत बालू घाटों की निलामी की प्रकिया के तहत् बन्दाबस्ती हेतु सूरक्षित जमा राशि का निर्धारणः–

क्र0 सं0	अंचल	ग्राम पंचायत	बालूघाट का नाम	नदी	बालूघाट का विवरण	प्रस्तावित रकवा (एकड़ में)	प्रस्तावित डाक की न्यूनत्तम राशि	न्यूनत्तम डाक राशि का 10% सुरक्षित जमा राशि
1.	ठेठाईटांगर	पाईकपारा	पाईकपारा थाना नं0 94	शंख नदी	मौजा– पाईकपारा खाता नं0 – 223 प्लॉट नं0 – 01(अंश),	15.00	30000.00	3000.00
		कोरोमियाँ	कोरोमियाँ थाना नं0 143	शंख नदी	मौजा– कोरोमियाँ खाता नं0– 382, प्लॉट नं0– 3973(अंश),	22.00	70000.00	7000.00
		कोनबेगी	चिड़राटोली थाना नं0 91	शंख नदी	मौजा– चिड़राटोली खाता नं0– 56 प्लॉट नं0–01(अंश),	18.00	38000.00	3800..00
		मेरोमडेगा	टापुडेगा पंडरीपानी थाना नं0 113	छिन्दानाला	मौजा– पंडरीपानी खाता नं0– 115, प्लॉट नं0– 01(अंश),	15.00	200750.00	20070.00
		जोराम	जोराम गड़गड़झरिया थाना नं0 151	छिन्दानाला	मौजा– जोराम गड़गड़झरिया, खाता नं0– 234, प्लॉट नं0– 01(अंश), 5401(अंश),	16.00	25000.00	2500.00
		ठेठाईटांगर	ठेठाईटांगर खास थाना नं0 134	छिन्दानाला	ठेठाईटांगर खास खाता नं0– 367 प्लॉट नं0– 5536(अंश),5537(अंश),	13.00	20000.00	2000.00
2.	कोलेबिरा	लचड़ागढ़	लचड़ागढ़ थाना नं0 81	देव नदी	मौजा– लचड़ागढ़ खाता नं0– 236 प्लॉट नं0– 2404(अंश), 3248(अंश),	19.00	42500.00	4250.00
3.	केरसई	केरसई	केरसई थाना नं0 40,	खलजोरा	मौजा– केरसई, खाता नं0– 236 प्लॉट नं0–4000(अंश), 4663(अंश),	13.00	17500.00	1750.00

4.	सिमडेगा	अरानी	पिण्डाटांगर थाना नं0 193	अरानी नदी	मौजा– पिण्डाटांगर खाता नं0– 48 प्लॉट नं0– 01	**12.40**	**7500.00**	**7500.00**
		गरजा	गरजा थाना नं0 82	पालामाड़ा नदी / शंख नदी	मौजा– गरजा खाता नं0– 241 प्लॉट नं0–445(अंश),01(अंश),	**19.00**	**102000.00**	**10200.00**
		बीरू	बीरू थाना नं0 58	पालामाड़ा नदी	मौजा– बीरू खाता नं0– 297 प्लॉट नं0– 2195(अंश),	**15.00**	**30750.00**	**3075.00**
		बंगरू	फरसाबेड़ा थाना नं0 77	पालामाड़ा नदी	मौजा– फरसाबेड़ा खाता नं0– 94 प्लॉट नं0– 01(अंश),	**14.00**	**83750.00**	**8375.00**
5.	बांसजोर	बांसजोर	बांसजोर थाना नं0 18	लुड़की नदी	मौजा–बांसजोर, खाता नं0–222 प्लॉट नं0– 01, 02(अंश),	**13.50**	**27000.00**	**2700.00**
		उड़ते	गिनीकेरा थाना नं0 20	लुड़की नदी	मौजा– गिनीकेरा, खाता नं0– 49, 120 प्लॉट नं0– 287, 1446, 2903, 2893 (अंश),	**18.00**	**35000.00**	**3500.00**
		उड़ते	उड़ते थाना नं0 30	लुड़की नदी	मौजा– उड़ते, खाता नं0– 80, 154, प्लॉट नं0– 3749(अंश), 3619, 3620(अंश),	**18.00**	**35000.00**	**3500.00**
6.	बानो	कोनसोदे	छोटकेतुंगा	देव नदी मालगो नदी	मौजा– छोटकेतुंगा खाता नं0– 44, प्लॉट नं0– 60(अंश), 71(अंश),	**13.00**	**21000.00** **10000.00**	**2100.00** **1000.00**
7.	बोलवा	बोलवा	बोलवा, थाना नं0 60	शंख नदी	मौजा– बोलवा, खाता नं0– 60, प्लॉट नं0– 774(अंश),	**13.40**	**27500.00**	**2750.00**
8.	पाकरटाड़	केशलपुर	केशलपुर थाना नं0 11	शंख नदी	मौजा– केशलपुर खाता नं0– 169 प्लॉट नं0– 1964(अंश),	**19.00**	**20000.00**	**2000.00**

ह0 /
20.02.2015
सहायक खनन पदाधिकारी
गुमला सह सिमडेगा।

ह0 /
20.02.2015
उपायुक्त,
सिमडेगा।

उपायुक्त का कार्यालय, सिमडेगा

सिमडेगा जिलान्तर्गत बालू घाटों की आम–निलामी हेतु सूचना :–

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 के नियम–12 के संशोधन एवं विभागीय निर्देश ज्ञापांक 170/एम० राँची दिनांक 23.01.2015 के आलोक में गैर वन भूमि में स्थित बालूघाटों की बन्दोबस्ती की प्रक्रिया सरकारी निलामी द्वारा तीन वित्तीय वर्ष **(यानि 2015–16 से 2017–18 तक)** के लिए सिमडेगा जिलान्तर्गत निम्नलिखित बालूघाटों की निलामी ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित मुखिया की अध्यक्षता में गठित पंचायत बोर्ड के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक. **6/4/15, 7/4/15 एवं 8/4/15 के पूर्वाह्न 11.00** बजे पंचायती राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा। पहली निर्धारित तिथि को निलामी के प्रश्चात् शेष रह गए बालू घाटों की बन्दोबस्ती अगली निर्धारित तिथि को सम्पन्न की जाएगी।

निलामी की प्रक्रिया, शर्तें एवं बंधेज :–

1. बालूघाटों की नीलामी एक पंचायत/नगर निकाय के अधीन सभी बालू घाटों को एक ईकाई के रूप में मानकर नीलामी की जाएगी।
2. नीलामी वक्ता द्वारा बकाया नहीं रहने के संबंध में स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र या उस आशय का शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
3. बालूघाट की नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को ग्रामसभा/ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त करना होगा। यह सहमति पत्र जिस व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वैसे व्यक्ति/संस्था को इस नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया के पूर्व यह सहमति पत्र जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल करना होगा।
4. बन्दोबस्ती लेनेवाले व्यक्ति/संस्था को सुरक्षित जमा की दस प्रतिशत राशि या बालूघाट क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रतिभूति रकम के रूप में भाग लेने के लिए नीलामी के तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के पदनाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा अन्यथा व्यक्ति/संस्था डाक में भाग लेने से वंचित कर दिए जाएँगें। सफल डाकवक्ता (अधिकतम राशि) की प्रतिभूति रकम को छोड़कर अन्य डाकवक्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा।
5. वित्तीय सुदृढ़ता के प्रमाण स्वरूप चल–अचल सम्पति का ब्यौरा डाक की तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व जिला खनन कार्यालय के कार्यवधि में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वे डाक के लिए अयोग्य करार दिए जाएंगें।
6. नीलामी के समय निर्धारित सुरक्षित राशि से उपर की बोली गई डाक की प्रत्येक चरण के डाक प्रक्रिया समाप्त होते ही संबंधित बोर्ड द्वारा बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद राशि जमा करना होगा अन्यथा अगले चरण के डाक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
7. बालूघाटों की बन्दोबस्ती में राज्य सरकार की कम्पनी/प्राधिकार एवं निबंधित समितियों जिसके 51 प्रतिशत अथवा अधिक सदस्य जन–जाति को हों, के पक्ष में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. बालूघाटों की नीलामी के उपरान्त एकरारनामा के निष्पादन के पूर्व नीलामधारी को इस आशय का शपथ पत्र दायर किया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कितने बालूघाटों की एवं कितने क्षेत्र पर बन्दोबस्ती ली गई है।
9. डाक की समाप्ति के प्रश्चात् सैद्धांतिक सहमति पत्र (LOI) की तिथि से 30 दिनों के अन्दर डाकधारक E.C. हेतु आवेदन दाखिल करना अनिवार्य होगा अन्यथा बन्दोबस्ती रद्द कर दी जाएगी।
10. बालू की खुदाई एवं ढुलाई तभी वैध माना जाएगा जब बन्दोबस्ती हो एवं खनन कार्य करने के लिए माईनिंग प्लान अनुमोदित हो। पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) प्राप्त हो। माईनिंग प्लान तैयार करने का व्यय एवं E.C. आदि का खर्च डाक धारक को वहन करना होगा और बालू की बिक्री उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर बेचना होगा एवं विस्तृत विक्री दर का रसीद क्रेता को निर्गत करना होगा।
11. बालू खनिज के ढुलाई बिन्दु–10 में अंकित प्रावधान के बिना किए जाने पर ऐसे व्यक्तियों को तीन माह कैद या 5000=00 रूपया तक जुर्माना या दोनों सजा देय होगा।
12. नीलामी के उपरान्त उच्चतम डाकवक्ता झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 के मॉडल–"सी" के तहत् एकरारनामा का निष्पादन एवं निबंधन किया जाएगा।

13. नीलामी के प्रश्चात् जिन व्यक्ति/संस्था के साथ बालूघाट क्षेत्रों की बन्दोबस्ती की जाएगी उन्हें बन्दोबस्ती के आदेश किए जाने के 60 दिनों के अन्दर मॉडल प्रपत्र–" C " (यथा संशोधित–तीन वित्तीय वर्षों के नीलामी के संदर्भ में संविदा निष्पादन कराना होगा। बन्दोबस्तधारी द्वारा संविदा का निष्पादन निर्धारित तिथि के अन्दर नहीं कराये जाने पर बन्दोबस्ती आदेश प्रतिसंहृत समझा जाएगा तथा प्रतिभूति की राशि एवं बन्दोबस्ती के लिए नियमानुसार जमा कराई गई राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

14. उच्चतम डाकवक्ता को प्रथम किस्त के बाद शेष राशि के लिए बन्दोबस्ती आदेश निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर बैंक गारंटी देना होगा। यदि वे चाहें तो बैंक गारण्टी के बदले पूर्ण भुगतान कर सकते हैं।

15. उच्चतम डाकवक्ता को बिक्रीकर के लिए निबंधन कराकर बन्दोबस्ती के तीन माह के अन्दर बिक्रीकर निबंधन संख्या कार्यालय में दाखिल करना होगा अन्यथा बिना कारण बताए बन्दोबस्ती निरस्त कर दी जाएगी तथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. बालूघाटों के बन्दोबस्ती के प्रश्चात् बालू का प्रेषण करने में किसी प्रकार का अड़चन यथा पहुँच पथ वैगरह के कारण या किसी अन्य कारणवश नीलामी किए गए बालूघाट से प्रेषण नहीं कर पाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी तथा भुगतान की गई राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा/कटौती मान्य नहीं होगा।

17. बालू निष्कासन के क्रम में यदि रैयती भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान नीलामीधारी द्वारा किया जाएगा।

18. अन्य शर्त्त एवं बंधेज झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (सभी संशोधनों सहित) झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली–2007 एंव झारखण्ड परिवहन पारगमन चालान विनियमन–2005 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

19. किसी भी किस्त को जमा नहीं किए जाने या शर्त्तों का उल्लघंन करने पर बिना कोई पूर्व सूचना के नीलामी रद्द् कर दी जाएगी।

20. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2010 के नियम–34(4)के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाले बालू घाटों के संबंध में उच्चत्तम डाक–वक्ता को एकरारनामा के पूर्व ग्राम–सभा का स्वतंत्र एवं पूर्व संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

21. **बालूघाटों की निलामी प्रक्रिया** झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली–2014 के नियम–12(1) तथा (2) के तहत् निर्धारित ग्राम पंचायत/निकाय के द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्त के निदेश एवं देख–रेख में की जाएगी। **उपायुक्त स्वविवेकानुसार जिले के पंचायती राज्य पदाधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारी को नीलामी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का निदेश दे सकते हैं।**

22. **बालूघाटों का संचालन** :– जिला/सहायक खनन पदाधिकारी बालूघाटों से संबंधित अभिलेखों का संधारण/प्रस्तुतिकरण/नियंत्रण एवं राजस्व वसूली हेतु सक्षम होंगें।

23. बालूघाटों की नीलामी से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत/जिला परिषद्/नगर पंचायत/नगर प्रर्षद्/नगर निगम को एवं शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

24. नीलामीधारी द्वारा जमा किए जाने वाली राशि में से 20 प्रतिशत राशि संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी क पदनाम से तथा 80 प्रतिशत की राशि संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के पदनाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

I. उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करना होगा, जो खनन शीर्ष में जमा होगी।

II. बालूघाट के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

III. नीलामी की अवधि की समाप्ति के उपरान्त 06 माह के अन्दर प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी।

IV. उच्चतम् डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि का 40 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से पाँच दिनों के अन्दर जमा करना होगा।

V. शेष बचे 60 प्रतिशत की राशि को निम्न रूप से जमा की जाएगी :–

(क) डाक की राशि का 30 प्रतिशत आगामी वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी तक।

(ख) शेष राशि का भुगतान दूसरे वर्ष के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी तक।

25. जिला / सहायक खनन पदाधिकारी, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा संशोधित), झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली–2007 एवं झारखण्ड परिवहन पारगमन चालान विनियमन–2005 के नियमों के अनुसार मासिक विवरणी, खनिज परिवहन चालान इत्यादि का कार्यन्वयन करवाएँगे।

26. पुल के दोनों तरफ पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित माप–दण्ड के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र अथवा 500 मीटर के बाहर से तथा सिंचाई हेतु नदी में स्थापित किए गए कूप एवं पंपिंग सेट के आस–पास सुरक्षित क्षेत्र के बाहर जन कार्य यथा छठ–घाट, श्मशान घाट, घोबी घाट अन्य धार्मिक स्थल, नदी में निर्मित बराज, डैम आदि के 50 मीटर से बालू का उठाव करना होगा।

27. बालू घाट से बालू उत्तोलन के लिए अगर स्थानीय मजदूर उपलब्ध रहेंगे तो बन्दोबस्त बालू घाट का उठाव एवं लदाई मशीन द्वारा नहीं किया जाएगा, ताकि उन्हे रोजगार मिल सके तथा उनका पलायन नहीं हो, परन्तु जाँच से आश्वस्त होने पर अगर मजदूरों की उपलब्धता में कमी होगी तो वहीं मशीन का प्रयोग इस हद तक ही किया जा सकेगा कि उस क्षेत्र के मजदूर बेरोजगार नहीं हैं एवं नदी के जल स्तर के नीचे जाने का कुप्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा।

28. बालू घाट एवं परिवहन हेतु रास्ता वन भूमि पर पाए जाने की स्थिति में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर बालू का उत्तोलन / प्रेषण नियम संगत करना होगा।
न्यायालय / ट्रिब्युनल / सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश / प्रावधानों का पालन करना होगा।

29. बिना कोई कारण बताए निलामी की तिथि में परिवर्तन या निलामी रद्द करने एवं शर्तों में रद्दो–बदल करने का अधिकार तथा बालू घाट से संबंधित किसी मामले का अंतिम निर्णय उपायुक्त, सिमडेगा के पास सुरक्षित रहेगा।

30. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती के साथ साथ जमा राशि तथा प्रतिभूति की राशि जब्त करते हुए पुनः बन्दोबस्ती के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

31. विशेष जानकारी के लिए जिला खनन कार्यालय / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

ह0 /
20.02.2015
सहायक खनन पदाधिकारी
गुमला सह सिमडेगा।

ह0 /
20.02.2015
उपायुक्त,
सिमडेगा।